# छत्तीसगढ़ विधानसभा

## पत्रक भाग - एक

## संक्षिप्त कार्य विवरण

## सोमवार, दिनांक 7 जुलाई, 2008

## (आषाढ़ - 16, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

### 1. राष्ट्रगीत

सदन में **वन्दे मातरम्** की धुन बजाई गई ।

### 2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री बंशीलाल धृतलहरे, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, श्री यशवंतराज सिंह, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं श्री चेलाराम चंद्राकर, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री, डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र कर्मा, सर्वश्री भूपेश बघेल, नोवेल कुमार वर्मा, कु.कामदा जोल्हे, धर्मजीत सिंह, सदस्य तथा राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, संसदीय कार्य मंत्री, श्री अजय चंद्राकर एवं श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.18 बजे स्थगित होकर 11.25 बजे पुनः प्रारंभ हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र कर्मा ने आसंदी का ध्यान बोड़सरा प्रकरण पर उनके द्वारा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की ओर आकर्षित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि प्रश्नकाल में प्रश्नों पर ही चर्चा करें एवं इस तरह वे सरकार को ज्यादा जवाबदेह बना सकते हैं ।

बोड़सरा प्रकरण पर सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष में परस्पर नारेबाजी एवं व्यवधान रहने से सदन की कार्यवाही 11.32 बजे 05 मिनट के स्थगित होकर 11.44 बजे पुनः प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र कर्मा ने बोड़सरा प्रकरण में एक वृद्ध महिला को बंदी बनाए जाने एवं उसकी मृत्यु होने की ओर आंसदी का ध्यानाकर्षित किया ।

संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से व्यवस्था का प्रश्न रखने का आग्रह किया ।

माननीय अध्यक्ष ने पुनः व्यवस्था दी कि प्रश्नकाल में स्थगन पर चर्चा नहीं की जाती और न ही कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर लिया जाता है ।

सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष ने परस्पर विरोधी नारे लगाए ।

## 3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - सदन की कार्यवाही स्थगित होने के पश्चात् विधान सभा परिसर स्थित सेन्ट्रल लॉन में माननीय सदस्यों का समूह छायाचित्र लिया जाएगा ।

इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय भी उपस्थित रहेंगे ।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे पत्रक भाग दो द्वारा जारी सूचना के अनुसार अपनी पंक्ति में उनके लिए पूर्व निर्धारित जगह पर अपना स्थान ग्रहण करें

(अत्यधिक व्यवधान होने के कारण माननीय अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक स्थगित की ।)

(1.50 बजे से 3.10 तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

## 4. फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए ।

## 5. फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र के समय पूर्व अवसान के कारण बैठक पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र के समय पूर्व अवसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोत्तरी पटल पर रखी गई ।

## 6. नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया ।

## 7. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि द्वितीय विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र में पारित 06 विधेयकों में शेष रहे 02 विधेयकों में से 01 तथा फरवरी-मार्च 2008 सत्र में पारित 10 विधेयकों में से 09 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गयी है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधानसभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक -30-क की अपेक्षानुसार, द्वितीय विधानसभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र में पारित 06 विधेयकों में शेष रहे 02 विधेयकों में से 01 तथा फरवरी-मार्च, 2008 में

पारित 10 विधेयकों में से 09 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गयी है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया ।

अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

## 8. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

1. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
2. श्री ननकीराम कंवर
3. श्री सत्यनारायण शर्मा
4. श्री अघन सिंह ठाकुर
5. श्री धर्मजीत सिंह

## 9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक रविवार, दिनांक 06 जुलाई, 2008 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

| वित्तीय कार्य | निर्धारित समय |
|---|---|
| वर्ष 2008-2009 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण. | 3 घंटे |

| विधि विषयक कार्य | निर्धारित समय |
|---|---|
| 1. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 | 30 मिनट |
| 2. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 | 30 मिनट |
| 3. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008 | 30 मिनट |
| 4. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2008 | 30 मिनट |

| | |
|---|---|
| 5. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 | 30 मिनट |
| 6. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 | 30 मिनट |
| 7. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2008 | 1 घंटा |
| 8. छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 | 2 घंटे |
| 9. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2008 | 1 घंटा |

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

## 10. उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 के लिए उत्कृष्ट संसदीय विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के चयन हेतु गठित समिति ने निम्नांकित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है :-

### वर्ष 2006-2007 के लिए :-

**उत्कृष्ट विधायक :**

1. सत्ता पक्ष से — डॉ.बालमुकुंद देवांगन
2. प्रतिपक्ष से — डॉ.हरिदास भारद्वाज

**उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार :**

1. दैनिक नवभारत — श्री पी.श्रीनिवास राव

### वर्ष 2007-2008 के लिए :-

**उत्कृष्ट विधायक :**

1. सत्ता पक्ष से — श्री त्रिलोचन पटेल
2. प्रतिपक्ष से — डॉ.शक्राजीत नायक

**उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार :**

1. दैनिक नईदुनिया — श्री राजेश दुबे

उपरोक्त के अतिरिक्त इस वर्ष विशेष रूप से द्वितीय विधान सभा (वर्ष 2003-2008) में श्री नोवेल कुमार वर्मा को जागरूक विधायक के रूप में पुरस्कृत किया गया है ।

पुरस्कार वितरण महामहिम के करकमलों से दिनांक 08 जुलाई, 2008 को सायं 7.00 बजेआयोजित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष ने अपनी ओर से एवं सदन की ओर से चयनित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को बधाई दी ।

## 11. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने हंसदेव बांगो बांध से सिंचाई हेतु किसानों को पानी न दिया जाकर उद्योगों को पानी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

## 12. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गये पत्र की प्रति पटल पर रखने की मांग करते हुए गर्भगृह में आए ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन माननीय सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्य को सभा से बाहर जाने के निर्देश दिए ।

(श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य सदन से बाहर गए ।)

## 13. ध्यानाकर्षण सूचना(क्रमशः)

(2) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने जिला जेल जशपुर में व्याप्त अव्यवस्था तथा कैदियों के फरार होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

## 14. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री नंदकुमार पटेल
(2) श्री रविन्द्र चौबे
(3) श्री मोहम्मद अकबर
(4) श्री योगेश्वर राज सिंह
(5) महंत रामसुंदर दास

## 15. निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - उन्होंने आज सभा के गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण नियमावली के नियम 250 के अंतर्गत सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित सदस्य की निलंबन अवधि नियम 250 (1) के अंतर्गत आज दिनांक 7.7.2008 की सभा की शेष अवधि निर्धारित की है ।

## 16. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में खाद व बीज की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री देवजी पटेल, डॉ.शक्राजीत नायक, अघन सिंह ठाकुर, गणेशशंकर बाजपेयी,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से नियम 139 की चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

सर्वश्री लच्छुराम कश्यप, निर्मल सिन्हा, महेन्द्र कर्मा

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

सायं 6.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 2008 (आषाढ़ 17, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा